रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 2012/आषाढ़ 20, 1934
No. 345] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 2012/ASADHA 20, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 552(अ).— प्रदूषण की सामान्यतः रोकथाम और विशिष्टतः वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यक्ष प्रदूषक स्रोतों और अप्रत्यक्ष प्रदूषक स्रोतों के लिए उत्सर्जक मानकों की मानीटरी को सुदृढ़ करना और प्रवर्तन करना, विशिष्टयों के अनुसार ईंधन की आपूर्ति आदि शामिल है।

और, सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का पुनर्विलोकन करते हुए 12 प्रदूषकों जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाईट्रोजन डाईऑक्साइड, दस माईक्रोन से कम आकार के विविक्त कण (PM_{10}), 2.5 माईक्रोन से कम आकार के विविक्त कण, ओजोन, सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बैन्जीन, BaP (विविक्त चरण), आर्सेनिक और निकिल के साथ नवम्बर, 2009 में संशोधन किया गया। परिवेशी वायु गुणवत्ता, लोक स्वास्थ्य की ओर बढ रही चिंताओं के कारण स्वच्छतर कोयला तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।

और, बड़ी मात्रा में राख के परिवहन से ऊर्जा व्यर्थ होती है तथा इससे रेल के डिब्बे, बंदरगाह सुविधाओं में कमी उत्पन्न होती है और ऊर्जा संयंत्रों के लिए समस्याएं जिसमें मशीनों के हिस्सों और सामग्री का क्षरण, संप्रेषण में कठिनाई, अपर्याप्त निस्सरण तथा आग की ज्वाला का कम तापक्रम और अत्यधिक मात्रा में अधजले कार्बन युक्त राख की बहुत बड़ी मात्रा निकलती है।

और, उपर्युक्त के आलोक में केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2), धारा 6 और धारा 25 के साथ पठित और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के अधीन निम्नलिखित प्रारूप नियम जारी करने का प्रस्ताव करती है। ये नियम एतद्द्वारा सभी व्यक्तियों तथा संगठनों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, की सूचना हेतु प्रकाशित किये जा रहे हैं और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें सूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

और, प्रस्तावित प्रारूप नियमों पर अपने आपेक्षों या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इसे श्री रा.नि. जिंदल, वैज्ञानिक 'ड', पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110510 (ई मेल: ram.jindal@nic.in; फैक्स: 011 2436634) पर भेज सकेंगें, जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2), धारा 6 और धारा 25 के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण (नियम), 1986 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

मसौदा नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2012 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 3 के उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा; अर्थात्: -

" (8) 1 जनवरी, 2014 से निम्नलिखित कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र, कच्चा अथवा मिश्रित अथवा परिष्कृत कोयला जिसमें 34% से अनधिक भष्म अंतर्वस्तु वाले परिवृहत कोयले और 4000 किलो कैलोरी/कि.ग्रा से कम सकल कैलोरीमान न हो, का उपयोग करेंगें, अर्थात्: -

(क) गर्तमुख से पाँच सौ किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अवस्थित कोई ताप संयंत्र;

(ख) गर्तमुख से पाँच सौ किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अवस्थित 100 मेगावाट अथवा अधिक क्षमता का प्रगहित ताप ऊर्जा संयंत्र; और

(ग) शहरी क्षेत्र या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पारिस्थितिकीय रूप से सुग्राही क्षेत्र या गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक समूह अथवा क्षेत्र में अवस्थित कोई एकल ताप ऊर्जा

संयंत्र या 100 मेगावाट क्षमता का प्रगहित ताप ऊर्जा संयंत्र उनकी दूरी पर ध्यान दिये बिना, सिवाए 'गर्तमुख ऊर्जा संयंत्र' के:

परन्तु यह कि ऐसे किसी तापीय ऊर्जा संयंत्र को, जो तरल-तर दहन या परिसंचारी तरल-तर दहन या वायुमण्डलीय तरल-तर दहन या दावित तरल-तर दहन या समाकलित गैसीकरण संयुक्त आवर्तन प्रौद्योगिकियों का या ऐसी कोई परिष्कृत प्रौद्योगिकियों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं, प्रयोग कर रहा है, को खण्ड (क), (ख) और (ग) से छूट प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिये :-

(क) 'परिवृहत कोयला' से ऐसा कोयला अभिप्रेत है जिसमें 4000 किलो कैलोरी/ किग्रा से कम सकल कैलोरीमान न हो, युक्त कोयला और भौतिक पृथककरण या धोवन प्रक्रिया के माध्यम से अभिप्राप्त कच्चे कायले में मूल भष्म अन्तर्वस्तु की अपेक्षा उच्चतर कैलोरीमान हो किन्तु 34 प्रतिशत से कम भष्म हो,

(ख) 'गर्तमुख ऊर्जा संयंत्र' से, ऐसे ऊर्जा केन्द्र अभिप्रेत हैं जिनमें सामान्य लोक परिवहन प्रणाली का उपयोग किए बिना खनन क्षेत्र में लदाई स्थल से ऊर्जा केन्द्र में उतराई स्थल तक कोयले के परिवहन के लिए इसके अनन्य उपयोग के लिए अपनी प्रगहित परिवहन प्रणाली है;

(ग) 'पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र' से, एक ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसका पारिस्थितिकीय संतुलन आसानी से विक्षुब्ध होने की संभावना हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पहचान कर अधिसूचित किया गया हो;

(घ) 'अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूह अथवा क्षेत्र से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां प्रदूषण स्तर गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है या पहुंच जाने की संभावना हो और जिसका केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचान की जा चुकी है ; और

(ङ) 'शहरी क्षेत्र' से ऐसे शहर की क्षेत्र सीमा अभिप्रेत जिसकी जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार दस लाख से अधिक हो।"

[फा. सं. क्यू-15017/11/2011-सी.पी.डब्ल्यू.]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित की गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं.का.आ.82 (अ) तारीख 16, फरवरी,1987, का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988; सा.का.नि., 931(अ) तारीख 27 अक्टूबर, 1989; सं. का.आ. 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991; सा.का.नि. 95अ), तारीख 12 फरवरी, 1992; सा.का.नि. 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992; सा.का.नि. 562(अ), तारीख 27 मई, 1992; सा.का.नि. 884(अ), तारीख 20 नवम्बर, 1992; सा.का.नि. 386(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422(अ), तारीख 19 मई, 1993; सा.का.नि. 801(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993; सा.का.नि. 320(अ), तारीख 16 मार्च, 1994; सा.का.नि. 560(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1997, सा.का.नि. 378(अ), तारीख 30 जून, 1998; सा.का.नि., 07(अ)", तारीख 22 दिसम्बर, 1998, सा.का.नि. 407(अ), तारीख 31 मई, 2001; सा.का.नि. 826 (अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009; और सा.का.नि. 513(अ), तारीख 28 जून, 2012 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

G.S.R. 552(E).—Whereas, for abatement of pollution in general and air quality management in particular, various actions are taken by the Government which inter-alia include an integrated approach to strengthen the monitoring and enforcement of emissions standards for both point and non-point sources, supply of fuel as per specifications, etc.

And, whereas National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) have been revisited and revised by the Government in November, 2009 for 12 pollutants which include Sulphur Dioxide (SO_2), Nitrogen Dioxide (NO_2), Particulate Matter less than 10 micron (PM_{10}), $PM_{2.5}$, Ozone, Lead, CO, NH_3, Benzene, BaP (particulate phase), Arsenic and Nickel. With a growing concern over ambient air quality, public health, the use of cleaner coal and clean coal technologies is required.

And, whereas transporting large amounts of ash wastes energy and creates shortages of rail cars, port facilities, problems for power stations, including erosion in parts and materials, difficulty in pulverization, poor emissivity and flame temperature and excessive amounts of fly ash containing large amounts of unburned carbons.

And, whereas, in the light of above the Central Government proposes to issue the following draft rules under sub-section (2) of section 3, section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986. The aforesaid draft rules are hereby published for the information of all persons and organisations likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

And, whereas any person or organisation desirous of making any suggestions or objection in respect of the proposed draft rules may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Shri R.N. Jindal, Scientist 'E', Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110510 (email: ram.jindal@nic.in; fax: 011-2436634).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3, section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 the Centre Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) On and from the 1st.day of January, 2014, the following coal based thermal power plants shall use raw or blended or beneficiated coal with an ash content not exceeding thirty four percent and gross calorific value not less than 4000 Kcal/kg on daily average basis, namely:-

(a) any standalone thermal power plant located beyond five hundred kilometers from the pit-head;

(b) any captive thermal power plant, of installed capacity of 100 MW or above, and located beyond five hundred kilometers from the pit-head; and

(c) any captive power plant above 100 MW or standalone thermal power plant located in urban area or ecologically sensitive area notified by the Central Government or critically industrial polluted cluster or area irrespective of its distance from pit-head except any pit-head power plant:

Provided that any thermal power plant using Circulating Fluidised Bed Combustion or Atmosphere Fluidised Bed Combustion or Pressurized Fluidised Bed Combustion or Integrated Gasification Combined Cycle technologies or any other clean technologies as may be notified by the Central government in the Official Gazette shall be exempted from clauses (a), (b) and (c).

2542GI/12-2

Explanation: For the purpose of this rule:-

(a) 'beneficiated coal' means coal containing gross calorific value not less than 4000 Kcal/kg and ash content not exceeding thirty four percent in the raw coal obtained through physical separation or washing process;

(b) 'pit-head power plant' means power stations having captive transportation system for its exclusive use for transportation of coal from the loading point at the mining end upto the uploading point at the power station without using the normal public transportation system.;

(c) 'ecologically sensitive area' means an area whose ecological balance is prone to be easily disturbed, identified and notified by Central Government.;

(d) 'critically industrial polluted cluster or area' means an industrial area where pollution levels have reached or likely to reach to the critical level and which has been identified as such by the Central Government, State Government or Central Pollution Control board or a State Pollution Control Board; and

(e) 'urban area' means an area limit of a city having a population of more than 1 million according to the latest census.".

[F. No. Q-15017/11/2011-CPW]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide No. S. O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O.No. 82 (E), dated 16th February,1987; S.O.No. 64(E), dated 18th January, 1988; G.S.R. 931(E), dated 27th October, 1989; S.O. 23(E), dated 16th January, 1991; G.S.R. 95(E), dated 12th February, 1992; G.S.R. 329(E), dated 13th March, 1992; G.S.R. 562(E), dated 27th May, 1992; G.S.R. 884(E), dated 20th November, 1992; G.S.R. 386 (E), dated 22nd April, 1993; G.S.R. 422(E), dated 19th May, 1993; G.S.R. 801(E), dated 31st December, 1993; G.S.R. 320(E), dated 16th March, 1994; G.S.R. 560(E), dated 19th September, 1997; G.S.R. 378(E), dated 30th June, 1998; G.S.R. 7(E), dated 22nd December, 1998; G.S.R. 407(E), dated 31st May, 2001; G.S.R. 826(E), dated 16th November, 2009; and G.S.R. 513(E), dated 28th June, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.